



राजनीति में अक्षमताओं पर सम्मानजनक संवाद को प्रोत्साहन

प्रलम्ब के लिये:

[चुनाव आयोग](#), [द्वियांग व्यक्त](#), [द्वियांगजन अधिकार अधिनियम 2016](#), [राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत](#), [सुगम्य भारत अभियान](#), [दीनदयाल द्वियांग पुनर्वास योजना](#), [द्वियांग छात्रों के लिये राष्ट्रीय फेलोशिप](#)

मेन्स के लिये:

भारत में PwD के लिये संवैधानिक और वधायी ढाँचा, भारत में PwD से संबंधित प्रमुख चुनौतियाँ।

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्यों?

[चुनाव आयोग \(Election Commission-EC\)](#) ने [राजनीतिक दलों](#) को द्वियांगता और लैंगिक संवेदनशील भाषण का उपयोग करने तथा सार्वजनिक भाषणों, अभियानों एवं लेखों में [द्वियांग व्यक्तियों](#) के लिये अपमानजनक संदर्भों का उपयोग करने से बचने के लिये दशानिर्देश जारी किये हैं।

चुनाव आयोग के प्रमुख दशानिर्देश क्या हैं?

- **अपमानजनक भाषा पर प्रतिबंध:** राजनीतिक दलों एवं उनके प्रतिनिधियों से आग्रह किया जाता है कि वे किसी भी सार्वजनिक बयान, भाषण, लेख या अभियान में द्वियांगता या द्वियांगता से संबंधित अपमानजनक या आक्रामक संदर्भों का उपयोग करने से बचें और सुनिश्चित करें कि चुनाव अभियान सभी नागरिकों के लिये सुलभ रहें।
- **समर्थ भाषा से परहेज़ (Avoidance of Ableist Language):** द्वियांगजनों के प्रति सक्षम या आपत्तजनक समझे जाने वाले विशिष्ट शब्दों जैसे "भूंगा," "मंदबुद्धि," "अंधा," "बहरा," "लंगड़ा," आदि को ऐसी भाषा के रूप में रेखांकित किया गया है जिससे बचना चाहिये।
- **आंतरिक समीक्षा एवं सुधार (Internal Review and Rectification):** भाषणों, सोशल मीडिया पोस्ट, वीडियो एवं प्रेस वीडियो में सहित सभी अभियान सामग्रियों को आपत्तजनक भाषा के उदाहरणों की पहचान करने और उन्हें सुधारने के लिये [राजनीतिक दल के भीतर आंतरिक समीक्षा](#) से गुजरना चाहिये।
- **संवेदनशील भाषा के प्रयोग की घोषणा (Declaration of Use of Sensitive Language):** राजनीतिक दलों को अपनी वेबसाइटों पर मानवीय समानता, समानता, गरमा एवं स्वायत्तता का सम्मान करते हुए विकलांगता और लैंगिक-संवेदनशील भाषा का उपयोग करने की अपनी प्रतिबद्धता सुनिश्चित करनी चाहिये।
- **अधिकार-आधारित शब्दावली को अपनाना:** पार्टियों को द्वियांग व्यक्तियों के अधिकारों पर कन्वेंशन (CRPD) में उल्लिखित अधिकार-आधारित शब्दावली का उपयोग करने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है।
- **वैधानिक परिणाम:** दशानिर्देशों का कोई भी उल्लंघन [द्वियांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016](#) की धारा 92 के प्रावधानों के अंतर्गत आ सकता है।

भारत में द्वियांग व्यक्तियों की स्थिति क्या है?

- **स्थिति:** [राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण \(NSS\)](#) के 76वें दौर के अनुसार, भारतीय आबादी का 2.21% **हिसा विकलांगता से ग्रस्त** है।
 - विकलांगता की घटनाएँ 10-19 वर्ष के आयु वर्ग में सबसे अधिक हैं, जो शीघ्र हस्तक्षेप और सहायता की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं।
- **भारत में PwD के लिये संवैधानिक और वधायी फ्रेमवर्क:**
 - **संवैधानिक:**
 - भारत का संविधान **मौलिक अधिकारों** के माध्यम से सभी व्यक्तियों की समानता, स्वतंत्रता, न्याय एवं गरमा सुनिश्चित करता है और द्वियांग व्यक्तियों सहित सभी के लिये एक समावेशी समाज के निर्माण के लिये अनिवार्य आदेश देता है।
 - संविधान के अनुच्छेद 41 ([राज्य के नीति निर्देशक तत्व](#)) में कहा गया है कि राज्य अपनी आर्थिक क्षमता एवं विकास की

सीमा के अंतर्गत काम करने, शिक्षा पाने और बेरोज़गारी, बुढ़ापा, बीमारी एवं वकिलांगता के मामलों में सार्वजनिक सहायता के अधिकार को सुरक्षित करने के लिये प्रभावी प्रावधान करेगा।

○ **वधिन:**

- **दवियांग वयकतयिों के अधकार अधनियम, 2016 (RPwD अधनियम),** जसिने दवियांग वयकतयिों (समान अवसर, अधकारिों की सुरक्षा और पूरण भागीदारी) अधनियम, 1995 का स्थान लया, भारत में दवियांग वयकतयिों के लयि सबसे वयापक कानून है।

- PwD के लयि सरकारी नौकरी में आरक्षण 4% है, जबकि सरकारी या सहायता प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थानों में दवियांग छात्रों के लयि आरक्षण सिटें 5% है।

○ **अन्य संबंधित पहल:**

- [सुगम्य भारत अभयान](#)
- [दीन दयाल दवियांग पुनरवास योजना](#)
- [दवियांग छात्रों के लयि राष्ट्रीय फ़ैलोशिप](#)

■ **प्रमुख चुनौतयिों:**

- **पहुँच कषमता:** कई सार्वजनिक स्थानों, परिवहन प्रणालयिों और इमारतों में रैंप, लिफ्ट एवं वकिलांग वयकतयिों के लयि नरिदषिट स्थान जैसी उचित पहुँच सुवधायिों का अभाव है, जसिसे उनके लयि स्वतंत्र रूप से घूमना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
 - भारत में केवल लगभग 3% सार्वजनिक भवन ही दवियांगों के लयि सुलभ हैं (भारत की जनगणना, 2011)।
- **अपर्याप्त स्वास्थय सेवा:** भारत की जनगणना, 2011 के अनुसार, ग्रामीण भारत में केवल 37% दवियांगों के पास स्वास्थय देखभाल सुवधायिों तक पहुँच है।
 - **वशिव स्वास्थय संगठन** की एक हालया रिपोर्ट में पूरे भारत में वकिलांगता परबंधन में प्रशिक्षित स्वास्थय देखभाल पेशेवरों की कमी की पहचान की गई है, जसिसे वशिष देखभाल तक पहुँच सीमित हो गई है।
- **सीमति शैक्षणिक अवसर:** दवियांगजनों के लयि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच एक चुनौती बनी हुई है। वभिनिन शिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लयि स्कूलों में प्रायः पर्याप्त सुवधायिों एवं प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी होती है, जसिके परिणामस्वरूप मुख्यधारा की शिक्षा से वंचित होना पड़ता है।
- **रोज़गार बाधाएँ:** दवियांगों को उपयुक्त रोज़गार ढूँढने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। भेदभाव, सुलभ कार्यस्थलों की कमी एवं उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लयि आवास की कमी प्रायः वकिलांग लोगों के बीच उच्च बेरोज़गारी दर का कारण बनती है।
- **कलंक एवं भेदभाव:** भारत में वकिलांगता को लेकर अभी भी एक कलंक वयापत है साथ ही दवियांगों को प्रायः पूर्वाग्रहों का सामना करना पड़ता है जो समाज में उनके अवसरों और स्वीकार्यता को सीमित करते हैं।
- **कानूनी और नीतगत अंतराल:** हालाँकि भारत में दवियांगों के अधिकारों की रक्षा के लयि कानून और नीतयिों मौजूद हैं, लेकिन उनका प्रवर्तन एवं क्रयान्वयन असंगत रहता है। यह अंतर उनके अधिकारों की वास्तविक उपलब्धि और संसाधनों तक पहुँच को प्रभावित करता है।

आगे की राह

- **सहायक प्रौद्योगिकी की पुनरकल्पना:** सरकार दवियांगता के वभिनिन रूपों के लयि **कृत्रमि बुद्धमिता तथा इंटरनेट ऑफ थयिस** का उपयोग करके सुलभ व कफायती सहायक प्रौद्योगिकी का एक सुदृढ़ पारस्थितिकी तंत्र बनाने के लयि तकनीकी क्षेत्र के दगिगजों तथा डिज़ाइन संस्थानों के साथ साझेदारी कर सकती है।
 - इसके तहत सरलता से पहुँच के लयि **स्व-नेवगिटिग सार्वजनिक स्थान**, अनुकूली यातायात सिग्नल तथा ध्वनि-नियंत्रित इंटरफेस शामिल हो सकते हैं।
 - इसके अतिरिक्त दवियांगजनों के लयि उपकरणों को **अनुकूलति तथा मरम्मत** करने के लयि ओपन-सोर्स हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर विकास को प्रोत्साहन देना।
- **शिक्षा एवं कौशल विकास में क्रांतिकारी बदलाव:** शिक्षकों के लयि अनविर्य दवियांगता संवेदनशीलता प्रशिक्षण लागू करना तथा इसे शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में एकीकृत करना।
 - वविधि शिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लयि AI-संचालित शिक्षण सहायक, इंटरैक्टिव टूल एवं सुलभ ई-लर्निग प्लेटफॉर्म नयिोजति करना।
- **रोज़गार परदृश्य में बदलाव:** नगिमें में PwD अनुकूल बुनयादी ढाँचा अनविर्य करना तथा उनके कौशल व कषमताओं के अनुकूल लचीले ऑनलाइन गगि कार्य में PwD की भागीदारी की सुवधि प्रदान करना तथा उन्हें दूरस्थ कार्य वकिल्पों हेतु सशक्त बनाना।
 - **सुलभ उत्पादों तथा सेवाओं की प्रस्तुत करने वाले**, आत्मनरिभरता को बढ़ावा देने एवं रोज़गार के अवसर सृजति करने वाले PwD के नेतृत्व वाले **सटारटअप को प्रोत्साहन देना**।
- **समावेशी भारत की ओर:** दवियांगजनों की **समझ तथा समावेशिता को बढ़ावा** देने के लयि समुदाय-आधारित कार्यशालाओं एवं संवेदीकरण कार्यक्रमों का आयोजन करना।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा के वगित वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. भारत लाखों वकिलांगों का आशर्य है। कानून के तहत उन्हें क्या लाभ उपलब्ध हैं? (2011)

1. सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों में 18 वर्ष की आयु तक निःशुल्क स्कूली शिक्षा।
2. व्यवसाय स्थापति करने के लिये भूमिका अधिमिन्य आवंटन।
3. सार्वजनिक भवनों में रैंप।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/eci-promotes-respectful-dialogue-on-disabilities-in-politics>

